डिक्री बमूकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 103/2022

वादी

1. रामनिवास पुत्र बुधाराम
2. श्रवणराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासी मांगलोद

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कमली पुत्री बुधाराम
2. देवाराम पुत्र बुधाराम जातियान मेघवाल निवासी मांगलोद
3. सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1- वादी की ओर से श्री अम्बालाल पारासर एडवोकेट

2- प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री नवरतन मेघवाल एडवोकेट

: : डिक्री आदेश : :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री नवरतन मेघवाल एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी संख्या 1 रामनिवास के हक वंट में मौजा मांगलोद का खसरा नम्बर 352 रकबा 1.6349 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी भाग एवं खसरा नम्बर 659 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 श्रवणराम के हक वंट में मौजा मांगलोद का खसरा नम्बर 352 रकबा 1.6349 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा उत्तरी भाग एवं खसरा नम्बर 300 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 देवाराम के हक वंट में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नम्बर 315 रकबा 1.8858 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 कमली के आराजी भूमि में से वंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
5. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner